राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1568, 1569, 1570 व 1571/2008/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, कोटा। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स हर्ष स्टोन इण्डस्ट्रीज़, कोटा । .....प्रत्यर्थी.

एकपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक । ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :29.04.2015

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयक्तादेश दिनांक **03.01.2008,** जो क्रमशः अपील संख्या 115, 116, 117 व 118/आरएसटी/2006–07 के संबंध में है, के विरूद्ध पेश की गयी हैं तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 58 सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 34 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज की मांग राशि क्रमशः रू. **27,864/–** को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त जाने को को विवादित किया है ।

2. चूंकि चारों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान है। अतः चारों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3.1 **अपील संख्या 1568/2008/कोटा** के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1997–98 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2001 को पारित कर, क्रय कर रू.18,332/–, ब्याज रू. 16134/– व अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति रू. 36,664/– आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग

लगातार................2

राशियों की पुष्टि कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.11.2002 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक **13.11.2002** के विरूद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) द्वारा दिनांक **16.09.2004** को राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त कर दिया गया। कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2004 के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने पुनः मूल निर्धारण आदेश के जरिये अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति 36,664/– व उक्त को दिनांक 01.04.1997 से अदत्त रहने के कारण अधिनिमय की धारा 58 के तहत् ब्याज रू. 27,864/– आरोपित कर, आदेश दिनांक 25.01.2006 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक **25.01.2006** के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को यथावत रख, अधिनियम की धारा 58 के तहत् निर्धारित ब्याज राशि की पुष्टि कर, आदेश दिनांक 03.01.2008 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3.2 **अपील संख्या 1569/2008/कोटा** के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1998–99 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2001 को पारित कर, क्रय कर व सरचार्ज रू.62,466/–, ब्याज रू.39,982/– व अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति रू. 1,24,932/– आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.11.2002 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक **13.11.2002** के विरूद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) द्वारा दिनांक **16.09.2004** को राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त कर दिया गया। कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2004 के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने पुनः मूल निर्धारण आदेश के जरिये

लगातार...............3

अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति 1,24,932/– व उक्त को दिनांक 01.04.1998 से अदत्त रहने के कारण अधिनिमय की धारा 58 के तहत् ब्याज रू. 87,452/– आरोपित कर, आदेश दिनांक 25.01.2006 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक **25.01.2006** के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को यथावत रख, अधिनियम की धारा 58 के तहत् निर्धारित ब्याज राशि की पुष्टि कर, आदेश दिनांक 03.01.2008 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3.3 **अपील संख्या 1570/2008/कोटा** के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 1999–2000 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2001 को पारित कर, क्रय कर रू.88,108/–, ब्याज रू.35,245/– व अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति रू.1,76,216/– आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.11.2002 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक **13.11.2002** के विरूद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्ररतुत करने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) द्वारा दिनांक **16.09.2004** को राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त कर दिया गया। कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2004 के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने पुनः मूल निर्धारण आदेश के जरिये अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति रू.1,76,216/– व उक्त को 20.06.2001 से अदत्त रहने के कारण अधिनिमय की धारा 58 के तहत् ब्याज रू.1,33,924/– आरोपित कर, आदेश दिनांक 25.01.2006 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक **25.01.2006** के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को यथावत रख, अधिनियम की धारा 58 के तहत्

लगातार..............4

निर्धारित ब्याज राशि की पुष्टि कर, आदेश दिनांक 03.01.2008 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3.4 **अपील संख्या 1571/2008/कोटा** के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2000–2001 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2001 को पारित कर, क्रय कर रू.69,558/–, ब्याज रू.6,956/– व अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति रू.1,39,116/– आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपीलीय आदेश दिनांक 13.11.2002 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक **13.11.2002** के विरूद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्ररतुत करने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) द्वारा दिनांक **16.09.2004** को राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त कर दिया गया। कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2004 के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने पुनः मूल निर्धारण आदेश के जरिये अधिनियम की धारा 65 के तहत् शास्ति रू.1,39,116/– व उक्त को 20.06.2001 से अदत्त रहने के कारण अधिनिमय की धारा 58 के तहत् ब्याज रू.1,05,729/– आरोपित कर, आदेश दिनांक 25.01.2006 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक **25.01.2006** के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्ति को यथावत रख, अधिनियम की धारा 58 के तहत् निर्धारित ब्याज राशि की पुष्टि कर, आदेश दिनांक 03.01.2008 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण

लगातार..............5

अधिकारी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम धारा 55 के तहत् जरिये आदेश दिनांक 25.01.2006 जो ब्याज का आरोपण दिनांक 20.06.2001 से दिनांक 12.07.2009 के लिये आरोपित किया गया है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्तियां क्रमशः रू.36,664/–, रू.1,24,932/–, रू.1,76,216/– व रू. 1,39,116/–आरोपित की गयी थीं वह दिनांक 13.11.2002 से दिनांक 15.09.2004 तक की अवधि के दौरान माननीय न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये विभिन्न आदेशों के प्रकाश में अस्तित्व में ही नहीं थी। कथन किया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा जरिये आदेश दिनांक 16.09.2004 के, आरोपित की गयी शास्तियों को पुनर्स्थापित कर वसूली योग्य होना कायम किया गया है। अतः अनुवर्ती ब्याज का आरोपण दिनांक 15.09.2004 तक किसी भी रूप से वसूली योग्य नहीं है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ. बनाम् राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल एण्ड अदर्स (2000) 23 टैक्स वर्ल्ड 139, स.वा.क.अ., घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम् मैसर्स इण्डियन प्लास्टिक वर्क्स,(1999) 15 एस.टी.सी. 104 (आर.टी.टी.), स.वा.क.अ., उड़नदस्ता–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स मोहन लाल एण्ड कम्पनी, जोधपुर, (2007) 18 टैक्स अपडेट 152 [आर.टी.बी.(एस.बी.)], माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ.–घट–तृतीय, बनाम् मैसर्स आनन्द गम प्रोडक्ट्स (2005) 22 एस.टी.टी. 73 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या–183/2008/बारां निर्णय दिनांक 16.12.2013 को प्रोद्धरित किया। अपने उक्त तर्कों के आलोक में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलीय आदेश दिनांक 27.08.2009 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का निवेदन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । इस संबंध में निर्णय

लगातार..............6

हेतु अधिनियम धारा 58 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार हैः–

अधिनियम की धारा 58.– **Interest on failure to pay tax or other sum payable.** – (1) Where a dealer or a person commits a default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount at the rate of two percent per month for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

(2) Subject to the provisions of sub–section (2) of section 70, interest under sub–section (1) shall be calculated–

(a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and

(b) on payment including the adjustment of a demand in full.

(3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

7. उपर्युक्त वर्णित विधिक प्रावधानों एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह पीठ यह अनुभव करती है कि चूंकि अधिनियम की धारा 65 के तहत् आरोपित शास्तियां जो जरिये पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेशों के दिनांक 20.06.2001 को आरोपित की गयी थी, को कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा इसे पुनर्स्थापित करने का आदेश दिनाक 16.09.2004 पारित किया गया है । अतः दिनांक 15.09.2004 तक उपर्युक्तानुसार वर्णित शास्ति की मांग राशियां अस्तित्व में नहीं होने के कारण वसूली योग्य नहीं थी । अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों क्रमशः रू.27,864/–, रू.87,452/–, रू.1,33,924/– व रू.1,05,729/– को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । फलस्वरूप, अपीलीय आदेश दिनाक 03.01.2008 में हस्तक्षेप करने का विधिक औचित्य नहीं है । अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है ।

8. परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

9. निर्णय प्रसारित किया गया ।

20.4.2015
(मदन लाल)
सदस्य